न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवरलाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 00076 / 2020 / RAA/जिला–अजमेर

1. देवा पुत्र स्व0 श्री भैरू पौत्र स्व0 श्री हनुता
2. श्री हीरा पुत्र स्व0 श्री भैरू पोत्र स्व0 श्री हनुता
3. श्री मंगला पुत्र स्व0 श्री भैरू पौत्र स्व0 श्री हनुता
4. श्रीमती जमनी पत्नी स्व0 श्री छोगा पुत्रवधु स्व0 श्री भोमा पौत्रवधु स्व0 श्री हनुता
5. श्री प्रभु पुत्र स्व0 श्री छोगा पौत्र स्व0 श्री भोमा प्रपोत्र स्व0 श्री हनुता
6. श्री बुद्धा पुत्र स्व0 श्री छोगा पौत्र स्व0 श्री भोमा प्रपोत्र स्व0 श्री हनुता
7. श्रीमती धन्नी पत्नी स्व0 श्री अमरा पुत्रवधु स्व0 श्री पन्ना
   समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम कानस उप तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर
2. नगर पालिका पुष्कर जरिये अधिशाषी अधिकारी, पुष्कर

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, अजमेर आदेश क्रमांक कअ / राजस्व /
एफ.–12 (सी) / 12 / 26 दिनांक 16–2–2022

————

उपस्थित– 1. श्री एन.एस.राजावत,अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक, प्रत्यर्थी संख्या–1
3. श्री अविनाश माथुर, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांकः–21–11–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पुष्कर द्वारा ने राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका पुष्कर की सीमा विस्तार करते हुए नगर पालिका सीमा में ग्राम नेडल्या, कानस व माधोपुरा को सम्मिलित

करना अवगत कराते हुए निदेशक स्थानीय निकाय विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम लागू की जाना तथा उपरोक्त क्षेत्रों में स्थित सिवायचक भूमियां नगर पालिका पुष्कर को हस्तांतरित करने का निवेदन किया कि राज्य सरकार की नीति अनुसार गरीबो को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने ग्राम कानस व नेडल्या की राजकीय भूमि का अनुशंषा सहित हस्तांतरण करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय स्वायत शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफ 7 (ड)(अभियान–2011) (भूमि) डीएलबी/ 11/5955–5988 दिनांक 2–12–2011 से राजस्व विभाग की पूर्व अधिसूचना एवं इनके विभाग के पूर्व आदेश की निरन्तरता में राज्य की निकाय क्षेत्रों एवं पेराफेरी क्षेत्र में स्थित सिवायचक भूमि का हस्तांतरण निकायों को करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों की पालना में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ6(9)राज–6 /96पार्ट/39 दिनांक 8–12–2010 के अनुसरण में जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12 (सी)/12/26 दिनांक 16–02–2012 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर ग्राम कानस व नेडलया की राजकीय भूमि का नगर पालिका पुष्कर को हस्तांतरण करने के आदेश पारित किये है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 16–2–2012 पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारी को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया जो कि एकपक्षीय होकर प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी को जिला कलक्टर अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 16–2–2012 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25–04–2012 को हुई जब प्रत्यर्थी संख्या 2 के अधीनस्थ कर्मचारीगण अपीलार्थीगण के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि का नाप–चौप किये जाने का प्रयास किया। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा अभिभाषक से सम्पर्क कर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश की नकल हेतु दिनांक 26–4–2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 17–5–2012 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई तत्पश्चात अपीलार्थीगण द्वारा आराजी से संबंधित दस्तावेजात एकत्रित कर अपील तैयार करवाकर प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्‌भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया

कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

प्रत्यर्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिये कि विवादित आरायिजात राजकीय अभिलेख में सिवायचक भूमि होने के कारण राज्य सरकार के आदेश की पालना में जिला कलक्टर द्वारा नगर पालिका पुष्कर को विधिवत हस्तांतरण की गई है। विवादित भूमि सिवायचक होने से अपीलार्थीगण को सुनवाई का नोटिस व सुनवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विवादित आराजी अपीलार्थीगण की खातेदारी नहीं है एव ना ही उनका आराजी पर भौतिक कब्जा काश्त है जबकि नगर पालिका पुष्कर का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थीगण ने विवादित आराजियात को हड़पने की नियत से मनघढंत आधारों पर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अपीलार्थीगण ने स्वयं अपनी अपील में स्वीकार किया है कि राजस्व कर्मचारियों आराजी को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज कर दिया है इस कारण प्रस्तुत अपील में जब तक राजकीय भूमि सिवायचक भूमि में अंकन सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाते तब तक उनके पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है ना ही इस अपील में न्यायालय उनके अधिकारों की घोषणा कर सकती है। अपीलार्थीगण को कोई अधिकार है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में दावा कर अपने अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिए। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थीगण ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 16–2–2012 पारित किये जाने से पूर्व अपलार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारियेां को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना तथा बिना पक्षकार संयोजित किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलार्थीगण उक्त आदेश से व्यथित पक्षकार होकर आराजी मुतनाजा उसके पैतृक खातेदारी एव आधिपत्य की कृषि भूमि होने से हक अधिकार

एवं आधिपत्य निहित करते है जिससे उक्त आदेश को चुनौती दिया जाना आवश्यक है। चूंकि अपीलार्थीगण के विवादित आराजियात में हित निहित है और उक्त आदेश से अपीलार्थीगण हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अभिभाषक अपीलार्थीगण की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर की अनुशंषा एवं राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका पुष्कर की सीमा विस्तार करते हुए नगर पालिका सीमा में गाम नेडल्या, कानस व माधोपुरा को समिम्लित करना अवगत कराते हुए निदेशक स्थानीय निकाय विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम लागू की जाना तथा उपरोक्त क्षेत्रों में स्थित सिवायचक भूमियां नगर पालिका पुष्कर को हस्तांतरित करने के आदेश पारित किये है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है जिससे अपीलार्थी का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की धारा–96 सीपीसी पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थीगण प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थीगण का धारा–96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि ग्राम कानस उप तहसील पुष्कर जिला अजमेर स्थित आराजी साबिक खाता संख्या 10 के खसरा नम्बर 392, 393, 865, 868, 898, 1006, 1014, 101, 15, 32, 33, 34, 35, 113, 112, 119, 120, 128, 130, 217, 111, 394 एवं 395 कुल किता 23 कुल रकबा 21–11–00 जिनके भू–संशोधन पश्चात नवीन खसरा नम्बर 16, 33, 34, 35, 36, 1057, 1090, 1200, 1208, 104, 116, 115, 122, 123, 131, 133, 239 एवं 114 कायम किये गये, की कृषि भूमियां खेवट खतौनी सम्वत् 1349 फसली 1363 से 1365 एवं चौसाला जमाबंदी में किये गये इन्द्राजात के अनुसार भैरू, भोमा पिसरान हनुता 1/2 हिसा एवं अमरा वल्द पन्ना 1/2 हिस्सा के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की रही है जो कि अपने जीवन पर्यन्त उक्त वर्णित कृषि भूमियों पर बहैसियत संयुक्त खातेदार काबिज काश्त रहे तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलार्थीगण विधिक वारिसान होकर संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। जिन उक्त वर्णित कृषि भूमियों में अपीलार्थी संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा तथरा अपीलार्थी संख्या 7 का 1/2 हिस्सा विधि अनुकूल निहित करता है परन्तु राजस्व अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण द्वारा बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री के पूर्व प्रविष्टियों को परिवर्तित किया जाकर आराजी मुतनाजा को गैर कानूनी एवं त्रूटिपूर्ण इन्द्राज कारित कर सिवायचक अंकित कर दिया गया। उक्त गैरी कानूनी एवं त्रूटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा बिना भौतिक आधिपत्य की जांच किये तथा विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना एक पक्षीय आदेश

दिनांक 16–2–2012 से अन्य कृषि भूमियोंके साथ उक्त वर्णित कृषि भूमियों को अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 नगर पालिका पुष्कर को हस्तांतरित किये जाने का गैर कानूनी आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण के पैतृक संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की उक्त कृषि भूमि जिन पर अपीलार्थीगण एवं उनके पूर्वज सम्वत 2015 से पूर्व से ही बहैसियत संयुक्त खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। जिन्हें बिना सुनवाई व साक्ष्य का असवर प्रदान किये तथा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश व डिक्री के गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण रूप से सिवायचक अंकित कर दिया। उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा विवादित आराजी अपने आदेश दिनांक 16–2–2012 द्वारा नगर पालिका पुष्कर के पक्ष में हतांतरित कर दी जबकि विधिक प्रावधानों के तहत उक्त प्रक्रिया के अनुसार तथा प्रशासनिक आदेश के तहत विधिक खातेदारी को समाप्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही किसी भी पक्षकार को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के पश्चात उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत ही विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर खातेदारी निरस्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी आधार पर खातेदारी निरस्त किये जाने का कोई भी विधिक प्रावधान नहीं है। अपीलार्थीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि को पड़त होना अंकित कर नगर पालिका के हक में हस्तांतरित की गई है जबकि उनके द्वारा विधिक प्रावधानो के तहत किसी भी प्रकार की कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। अपीलार्थीगण का विवादित आराजियात पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अजमेर जिले में दिनांक 15–6–1958 के प्रभाव में आने की तिथि से पूर्व ही संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य चला आ रहा है जो कि राजस्व रेकार्ड में किये गये इन्द्राजात से पूर्णतया सिद्ध है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–2–2012 को अपील में उल्लेखत विवादित कृषि भूमियों की हद तक निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार को बहाल किये जाने एवं तद्नुसार अधिकार अभिलेख में अपीलार्थीगण के नाम खातेदारी अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12 (सी)/12/26 दिनांक 16–2–2012 विधिअनुसार राज्य हित, जनहित की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उपखण्ड अधिकारी अजमेर की अनुशंषा के आधार पर ग्राम कानस, नेडलया की सिवायचक भूमि का हस्तांतरण अजमेर नगर पालिका, पुष्कर के नाम नियमानुसार जारी किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनिम का प्रार्थना पत्र एवं धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर नहीं है। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश में अंकित शर्तो के संबंध में अपीलार्थीगण को पूछने का कोई अधिकार नहीं है।

अपीलार्थीगण सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर अपना हक अधिकार तय करा सकते है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि मियाद अधिनियम की धारा 5 व 96 सी0पी0सी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेश 3 व नियम 4 के तहत अधिवक्ता सक्षम है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–2 के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12 (सी)/12/26 दिनांक 16–2–2012 विधिअनुसार राज्य हित, जनहित की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम कानस, नेडलया की सिवायचक भूमि का हस्तांतरण नगर पालिका पुष्कर के नाम नियमानुसार जारी किया गया है। सेटअपार्ट के समय विवादित आराजियात खातेदारी व सहखातेदारी की नहीं थी। जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–2–2012 पारित किया तत्समय अपीलार्थीगण खातेदार या गैर खातेदार नहीं थे। विवादित आराजियात सरकारी जमीन है जिसे जिला कलक्टर ने नगर पालिका को हस्तांतरित की है। सिवायचक भूमि पर अपीलार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा जो भी दस्तावेजात प्रस्तुत किये है वे सभी फोटोस्टेट प्रतियां है। अपीलार्थीगण का विवादित आराजियात के संबंध में कोई हक हो तो सक्षम न्यायालय में दावा कर हक अधिकारों का निर्धारण करने हेतु सक्षम है। जिला कलक्टर अजमेर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर उपखण्ड अधिकारी, अजमेर की अनुशंषा एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार आदेश दिनांक 16–2–2012 पारित किया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका पुष्कर ने राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका पुष्कर की सीमा विस्तार करते हुए नगर पालिका सीमा में ग्राम नेडल्या, कानस व माधोपुरा को सम्मिलित करते हुए निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम लागू की जाना तथा उपरोक्त क्षेत्रों में स्थित सिवायचक भूमियां नगर पालिका पुष्कर को हस्तांतरित करने का निवेदन किया कि राज्य सरकार की नीति अनुसार गरीबो को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने ग्राम कानस व नेडल्या की राजकीय भूमि का अनुशंषा सहित हस्तांतरण करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव महोदय स्वायत शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफ 7 (ड)(अभियान–2011) (भूमि) डीएलबी/ 11/5955–5988 दिनांक 2–12–2011 से राजस्व विभाग की पूर्व अधिसूचना एवं इनके विभाग के पूर्व आदेश की निरन्तरता में राज्य की निकाय क्षेत्रों एवं पेराफेरी क्षेत्र में स्थित सिवायचक भूमि का

हस्तांतरण निकायों को करने के निर्देश प्रदान किये गये थे। राजकीय सिवायचक भूमि, भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ही काश्तकारों को आवंटन करने का प्रावधान है। अपीलार्थीगण को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि आवंटन की गई हो ऐसा काई दस्तावेज पत्रावली में मौजूद नहीं है। राजस्व रेकार्ड में राजकीय सिवायचक भूमि का अंकन सक्षम न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर ही निरस्त कराया जा सकता है। अपीलार्थीगण विवादित भूमि पर अपने हक अधिकारों के लिए सक्षम न्यायलय में दावा दायर लाभ प्राप्त कर सकते है। नगर पालिका पुष्कर का क्षेत्र का विस्तार होने के कारण उक्त निर्देशों की पालना में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ6(9)राज–6 /96पार्ट/39 दिनांक 8–12–2010 के अनुसरण में जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12 (सी)/12/26 दिनांक 16–02–2012 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर ग्राम कानस व नेडलया की राजकीय भूमि का नगर पालिका पुष्कर को हस्तांतरण करने के आदेश राज्यहित, जनहित की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पारित किये है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक कअ/राजस्व/एफ.–12 (सी)/12/26 दिनांक 16–02–2012 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर